

राजस्थान सरकार
राजस्व & ग्रुप-6 विभाग

प्रेषित:- १। समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
२। समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
३। निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

क्रमांक:- प. 583 राज-4/86

जयपुर, दिनांक:- 09-01-98

परिपत्र :-
=====

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5842 राज-4/80 दिनांक 1.5.81 द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा भूण के एवज में अनुसूचित बैंक व सरकारी सन्निधियों को बंधक की गयी उनकी भूमि भूण चुकता न किये जाने की अवस्था में बैंक द्वारा नोलासी करके उनकी भूमि को क्रयण: की अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को बेचने हेतु & राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42-क में लगाये बन्धों में छूट & दी गयी है।

राजस्थान कृषि साउ प्रकलन & काठनाई एवं निराकरण अधिनियम 1976 के नियम 1482 में अनुसूचित जाति / जनजाति की भूमि को बैंक द्वारा भूण की एवज में गैर अनुसूचित जाति / जनजाति को बेचने पर रोक है।

उक्त परिपत्र दिनांक 1.5.81 उक्त 1976 के नियमों के नियम 1482 से विरोध रहता है। अतः 1.5.81 का परिपत्र मापिस निघा जाता है।

के. पी. सिंघन &
राजन उप सचिव

मनोज